बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
::आदेश::

पटना, दिनांक .....

संचिका संख्या–07/मु0–01–38/2025...../यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–1673/2025 अरूण कुमार गुप्ता एवं अन्य में दिनांक–07.02.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त वर्णित वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत हैः–

"...4. Learned counsel for the petitioners further submits tha the petitioners have filed several representations before the respondent Authorities for redressal of their grievances, but till date, no decision in this regard has been taken by the concerned Authorities.

5. Considering the submissions advanced on behalf of the petitioners, I deem it proper to direct the Director, Primary Education, Education Department, Government of Bihar, Patna (respondent no. 2) to consider the case of the petitioners keeping in view the order/judgment dated 09.12.2024 passed in C.W.J.C. No. 6391 of 2021..."

3. उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकांकर्त्तागण श्री अरूण कुमार गुप्ता एवं अन्य को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए दिनांक 17.09.2026 को निदेशक, प्राथमिक शिक्षा कें कार्यालय प्रकोष्ठ में सुनवाई निर्धारित की गयी, जिसमें वादीगण अनुपस्थित रहे। पुनः वादीगण को एक और अवसर देते हुए दिनांक–24.09.2026 को सुनवाई निर्धारित की गयी, जिसमे वादीगण उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्पित किया।

4. वादीगण का कथन है कि हमलोगों का नियोजन बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006 एवं संशोधित नियमावली, 2008 के आलोक में सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के पश्चात् वर्ष 2006–07 (नियमावली, 2006) एवं वर्ष 2010 (संशोधित नियमावली, 2008) में पंचायत/प्रखण्ड शिक्षक के रूप में की गयी है। बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020 के 5(2)(ii) एवं कंडिका (16) के प्रावधानानुसार स्नातक कोटि एवं प्रधान अध्यापक के पद पर प्रोन्नति संबंधित प्रावधान है।

5. अंकनीय है कि सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–1673/2025 अरूण कुमार गुप्ता एवं अन्य में दिनांक–07.02.2025 को पारित न्यायादेश की कंडिका–05 में विभाग को निदेशित है कि समरूप मामला सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–6391/2021 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–09.12.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्त्तागण के दावे पर विचार किया जाय।

6. अंकनीय है कि समरूप मामला सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–6391/2021 संजय कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–09.12.2024 को पारित न्यायादेश की कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

"...On this objection, the Court can only say that for departmental wrong and inaction, a private party cannot suffer. This is a case where the provisions of Articles 14, 16 and 21 of the Constitution of India have been grossly violated.

15. In view of such circumstances, the instant writ petition is disposed of directing the respondents to prepare the gradation list along with the prevailing reservation policy of Panchayat Teachers of the concerned block within 1 month from the date of this order. Thereafter, on the basis of the seniority of vacant posts in the 50 per cent promotional quota will be filled up giving effect to such promotion from the date on which the petitioner and others similarly placed candidates are entitled..."

उपरोक्त न्यायादेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एल0पी0ए0 संख्या–241/2025 बिहार सरकार एवं अन्य बनाम संजय कुमार दायर की गई है।

अतएव वर्णित परिप्रेक्ष्य में वादीगण के दावे को एल0पी0ए0 संख्या–241/2025 बिहार सरकार एवं अन्य बनाम संजय कुमार में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के फलाफल से आच्छादित माना जाएगा।

उक्त अभिमत के साथ वाद का निस्तारण किया जाता है।

(कुमार निशांत विवेक)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक–07/मु0–01–38/2025.....2874...../ पटना, दिनांक.....06-10-2026.

प्रतिलिपिः– Arun Kumar Gupta S/o Late Hira Lal Shaw R/o At Malgodam, Professor Colony Nawada, District Nawada, at present working as Block Teacher at Government Upgraded Middle School, Delwa, Block - Rajauli, District -Nawada.

2. Ajit Kumar, S/o Anil Singh, R/o Village - Baudhikala, P.O. and P.S. Rajauli,District Nawada, at present working as Block Teacher at Government Upgraded Middle School, Baliya, Block Rajauli, District - Nawada.

3. Rajiv Kumar, S/o Late Sahdev Saw, R/o Village Hardiya Sector B, P.S. -Rajauli, District - Nawada, at present working as Block Teacher at Government Rajkiya Middle School, Chiraila, Block Rajauli, District -Nawada.

4. Chandan Kumar, S/o Anirudh Prasad Singh, R/o Village Takuatand, P.O. Rajauli P.S. - Rajauli, District Nawada, at present working as Panchayat Teacher at Government Primary School Dagrasthan, Block - Rajauli, Distric- Nawada.

5. Meena Kumari Singh, W/o Dineshwar Prasad Singh, R/o Village - Baijda, P.O. Vansh Gopal, P.S. - Rajauli, District - Nawada, at present working as Block Teacher at Government Upgraded Middle School, Barhar, Block -Pandrk, District - Barh.

6. Nirmala Kumari, D/o Shital Prasad, W/o Sunil Kumar Nirala, R/o Village Manhar, P.S. - Rajauli, District - Nawada, at present working as Block Teacher at Government Upgraded Middle School, Murhena Hindi, Block Rajauli, District - Nawada. को सूचनार्थ प्रेषित

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु0–01–38 / 2025 2874 / पटना, दिनांक 06-10-2026

प्रतिलिपिः–जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु0–01–38 / 2025 2874 / पटना, दिनांक 06-10-2026

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।